



वत्तीय कार्रवाई कार्य बल





वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force-FATF)



परिचय

- * ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण का निगरानीकर्ता

स्थापना:

- * जुलाई 1989, पेरिस में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान

उद्देश्य:

- * मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करना और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण का विरोध करना।

सदस्य:

- * 37 सदस्य क्षेत्राधिकार और दो क्षेत्रीय संगठन (यूरोपियन कमीशन व खाड़ी सहयोग परिषद)
- * इंडोनेशिया एक पर्यवेक्षक देश है।

मुख्यालय:

- * सचिवालय पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) मुख्यालय में स्थित

ग्रेलिस्ट होने के परिणाम:

- * FATF (IMF, World Bank, ADB) से संबद्ध वित्तीय संस्थानों से आर्थिक प्रतिबंध
- * वित्तीय संस्थानों और देशों से ऋण प्राप्त करने में समस्या
- * अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी
- * अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार

भारत और FATF:

- * भारत वर्ष 2006 में एक पर्यवेक्षक देश बन गया।
- * भारत वर्ष 2010 में FATF का 34वाँ सदस्य बना।
- * भारत इसके क्षेत्रीय साझेदारों, एशिया पैसिफिक ग्रुप (APG) और यूरोशियन ग्रुप (EAG) का भी सदस्य है।

FATF की सूचियाँ:

* ग्रे लिस्ट:

- ❖ इसका मतलब है- "बढ़ी हुई निगरानी सूची"
- ❖ इसमें आतंकी वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिये सुरक्षित स्थल माने जाने वाले देशों को शामिल किया जाता है।
- ❖ संबंधित देश के लिये एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि उसे ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जा सकता है।

* ब्लैक लिस्ट:

- * असहयोगी देश या क्षेत्र (Non-Cooperative Countries or Territories-NCCT) शामिल हैं ये देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं।
- * देश-ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार

//

[और पढ़ें....](#)